143

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेष, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1248–तीन/03 विरूद्ध आदेश, दिनाक 30–5–2003 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 30/02–03 अपील.

राजकुमार पुत्र गिरदावल सिंह
निवासी ग्राम गोरमी तहसील मेहगांव जिला भिण्ड

.....आवेदक

विरूद्ध

रामबेटी पत्नी कैलाश सिंह
निवासी ग्राम मोतीसिंह का पुरा
तहसील गोहद जिला भिण्ड

–अनावेदक

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19-12-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 30/02–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–5–2003 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार वृत्त गोरमी द्वारा प्रकरण कमांक 31/99–2000/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 20–11–2001 द्वारा वारिसान के आधार पर मृतक भूमिस्वामी आदिराम के स्थान पर उसकी पुत्री

अनावेदक राम बेटी का नामांतरण कर दिया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मेहगांव के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी, मेहगांव ने प्रकरण क्रमांक 20/01-02/अ0मा0 में पारित आदेश दिनांक 18-10-2002 द्वारा अपील निरस्त की । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/02-03/अपील में पारित आदेश दिनांक 30-5-2003 द्वारा आवेदक की अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में लिखित तर्क पेश करने हेतु समय चाहा गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है।

4/ अनावेदक प्रकरण में एकपक्षीय है ।

5/ आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण वसीयत के आधार पर नामांतरण का है । वसीयत के संबंध में यह निष्कर्ष निकाले हैं कि वसीयत के एक साक्षी द्वारा वसीयत की जानकारी होने से इंकार किया है तथा दूसरे साक्षी द्वारा वसीयतनामा होने से इंकार किया है और उक्त कारण से वसीयत को संदिग्ध माना है । विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों ने की है । प्रकरण में तथ्यों के संबंध में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर